



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2815 /2026

शेष कुमार यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता : अखिलेश कुमार त्रिपाठी, पंकज कुमार यादव
प्रतिवादी अधिवक्ता : जी.ए., राज नारायण गुप्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी, मुखबिर के अधिवक्ता श्री राज नारायण गुप्ता और राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 267 वर्ष 2025, धारा 103(1) बीएनएस व 30 शस्त्र अधिनियम, थाना उसराहार, जिला इटावा में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने 30.11.2025 को रात करीब 11.00 बजे एक शादी समारोह के दौरान झगड़े को लेकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सूचना देने वाले के बेटे पर गोली चलाई। घायल व्यक्ति को सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ से उसे पुष्पांजलि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हॉस्पिटल ले जाया गया, और अगले दिन 1.12.2025 को शाम 4.50 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग सत्रह घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह सच है कि मृतक को गोली लगी थी, लेकिन खुशी में की गई फायरिंग का मामला हत्या में बदल दिया गया है। शादी के जुलूस के दौरान कई लोग फायरिंग कर रहे थे और गलती से किसी की गोली मृतक को लग गई, इसलिए मामला हत्या में बदल दिया गया है, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 2.12.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी और मुखबिर के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि मरने वाले को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल और आखिर में मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उसे ग्वालियर ले जाया गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई, लेकिन मौत का कारण घटना में लगी चोट थी, जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है। यह खुशी की फायरिंग का मामला नहीं है। यह एक बेरहमी से हत्या है। चश्मदीद गवाह का बयान है कि आवेदक ने जानबूझकर मरने वाले पर गोली चलाई थी।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, प्राथमिकी में देरी और शादी के जुलूस के दौरान मृतक को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी मंज़ूर की जाती है।

9. आवेदक- **शेष कुमार यादव** जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026 \शालिनी